हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	की तामील में जारी हुए
अभिभाषक गण उप। पत्रावली [illegible] हेतु दिनांक 28.4.11 को पेश हो।	
अभिभाषक [illegible] जवाब प्रार्थना हेतु [illegible] चाहा [illegible] हेतु। जवाब [illegible] 12.5.11 को पेश हो।	
अभिभाषक गण [illegible] पत्रावली [illegible] जवाब [illegible] तलबी हेतु दिनांक 19.5.11 को पेश हो।	
अभिभाषक गण उप। पत्रावली [illegible] तलबी हेतु दिनांक 23.5.11 को पेश हो।	
अभिभाषक गण उप। पत्रावली [illegible] तलबी हेतु दिनांक 31.5.11 को पेश हो।	
अभिभाषक गण उप। पत्रावली में अभिभाषक गण भी [illegible] पत्रावली दिनांक 6.6.11 को पेश है।	
11 पत्रावली पेश हो आई। प्रार्थना पत्र U/S 212 RTA [illegible] आज को सुनी गई। प्रकरण संक्षिप्त विवरण तथा निर्णय संलंकित है। [illegible] के द्वारा [illegible] के विरुद्ध प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 RTA दिनांक 31.3.10 को प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया कि [illegible] 1 ता 14 के [illegible] 9 RP [illegible] की 263=00 [illegible] है। [illegible] का [illegible] है, परन्तु [illegible] के द्वारा काफी [illegible] किया गया। इस [illegible] के अनुसार ही [illegible] कुल 55 [illegible] बनता है। इसी [illegible] पर [illegible] 14	

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

रिकॉर्ड के अवलोकन से जानकारी
अनुसार वर्णित है। उक्त खातेदारी चक 3 RP के
नहीं है। मुताबिक खातेदारी खसरा नं0 106 के किता नं0 12/23
खसरा नं0 157/375 खसरा नं0 106 का रकबा है। उक्त भूमि जिसका
पर दोनों पक्षगण का व अप्रार्थी सं0 14 को कब्जे
से काबिज हैं, प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 14 मुताबिक हिस्सा काश्त
पर काबिज है, इस प्रकार मुताबिक अपना-अपना तकसीम
हुआ नहीं है। अप्रार्थी सं0 14
प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 14 द्वारा स्थायी अलग-अलग कब्जा करने के
बाबत पर एकतरफा अप्रार्थी सं0 चालाक व बाहुबली
अधिकारी है। अप्रार्थी सं0 बलवान है। नाम जमाबन्दी के
को धोखा देते होने के कारण, विधिक रूप
आदेश पारित होने के कारण पर उतारू है। अतः
की भूमि रहन करने पर उतारू है। अतः
अप्रार्थी सं0 अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता है
तो प्रार्थी तथा अप्रार्थी सं0 14 को अपूरणीय क्षति
होगी। जिसकी भरपाई संभव नहीं है। अप्रार्थी सं0
होगी। जिसकी भरपाई संभव नहीं है। अप्रार्थी सं0 18/13
ने अप्रार्थी सं0 12 व 13 को खसरा सं0 18/13
चक 3 RP की भूमि बेच दी जिसका उसको
कोई अधिकार नहीं था। मौके की स्थिति बाबत
कोई अधिकार नहीं था। मौके की स्थिति यथावत रखी जावे
बाबत मौके के अनुसार रिपोर्ट पारित की जावे। प्रार्थी
एवं अप्रार्थी सं0 2 बाबत किया जावे। प्रार्थी
व अप्रार्थीगण का मुताबिक हक हिस्सा अनुसार
मुताबिक रकबा काश्त स्थायी तकसीम का
स्थायी रूप से कब्जा हो जावे, जिससे अपना हिस्सा
ना रहे। अप्रार्थीगण प्रार्थी के साथ स्थायी तकसीम
करने से इंकार हो गया तथा प्रश्नगत आराजी को
रहन करने व खुर्द बुर्द करने पर आमादा है,
अतः-2 भूमि विक्रय करने की फिराक में है,
अप्रार्थीगण इस मकसद में कामयाब हो जाते
प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई
किसी प्रकार से नहीं हो सकेगी। प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा
प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा संतुलन प्रार्थी के
पक्ष में है। निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र
प्रस्तुत कर निवेदन है कि ना फैसला दावा
अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण
प्रश्नगत आराजी को किसी प्रकार से रहन, बेचान
करने व रिकॉर्ड व मौके पर किसी प्रकार से
फेर बदल करने से रोका जावे।
प्रार्थना पत्र के [illegible] जांच की [illegible]
तथा एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के
पक्ष में एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक
3/5/18 को जारी की गई। प्रार्थी ने वर्णित
[illegible] तथा शपथ पत्र के उत्तर पर

चक 3 RP की कुल 265 व बीघा की नकल खतौनी दर्ज कर तलबीजाते जारी किए गए।

अप्रार्थी सं0 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 15/1/11 को प्रस्तुत किया गया। जवाब में अंकित किया गया कि चरण सं0 1 बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना स्वीकार एवं तथ्य अस्वीकार है। चरण सं0 2 में - राजस्व रिकार्ड में दर्ज कुल 265 बीघा कृषि भूमि स्वीकार। प्रश्नगत भूमि के पाली में है। प्रश्नगत भूमि के विवरण की भूमि स्वीकार। प्रश्नगत भूमि की पंक्ति में कि0 नं0 8 ता 13 9 की पंक्ति में ख0 नं0 167/374 तथा 12 की पंक्ति में 246 बीघा है। आवश्यकी दर्ज होना चाहिए था, जो आवश्यकी पंक्ति को छोड़कर 246 बीघा है। आवश्यक पंक्ति की 23 बीघा कृषि भूमि है। कृषि भूमि को हेक्टेयर तथा आवश्यक नहीं दर्शाया गया, जो उन्नती योग्य है। चरण सं0 3 - कृषि भूमि सामिलात नहीं दर्शाया गया, जो उन्नती योग्य है। चरण सं0 3 - कृषि भूमि सामां होना एवं बंटवारा, प्रार्थी शरीफ तथा अप्रार्थी सं0 14 हनीफ का मालिक होना स्वीकार है। प्रार्थी शरीफ तथा अप्रार्थी हनीफ को 52 बीघा 10 बिस्वा का हिस्सा बनता है जो कि खसरा नं0 157/375 में पृथक-पृथक अपना-2 हिस्सा मुताबिक काश्त करते हैं। मुताबिक हिस्सा तथा कब्जा बाबत खाता अलग किया जाकर, रकबा राज अलग कायम की जावे, तो अप्रार्थी को ऐतराज नहीं है। चरण सं0 4 - प्रार्थना पत्र की दफा 4 में अप्रार्थी के प्रति गलत बयानी स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी ने उपरोक्त खाता के ख0 नं0 157/375 के 23 बीघा में विशिष्ट किला को अप्रार्थीगण सं0 12, 13 को बेचान नहीं किया है, बल्कि हिस्सा बेचा है। जिसका अप्रार्थी को पूर्ण अधिकार है। प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नहीं होती है। चरण सं0 5 - स्वीकार है। चरण सं0 6 स्वीकार नहीं है, प्रार्थी के हक में सुविधा संतुलन नहीं है, नहीं प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होती है। चरण सं0 7 - सामां खाता को अलग करवाने के लिए बटवारा केवल पेश किया है। सामां खाता से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होती है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त हालात में मुताबिक स्वीकार द्वारा अपना हिस्सा रहन, बय करने की कब्जाधर न होने से प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं0 14 ने दिनांक 4/2/11 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जवाब प्रार्थना पत्र में चरण सं0 1 से लगायत 6 स्वीकार अंकित किया गया। अनुतोष प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी सं0 2 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया। चरण 6 तक स्वीकार है। अनुतोष प्रार्थना पत्र चरण सं0 1 से एतराज नहीं है। अनुतोष प्रार्थना पत्र स्वीकार है, कोई एतराज नहीं है। अतिरिक्त कथन - (7) अप्रार्थी सं0 1 अप्रार्थी सं0 2 पढ़े लिखे नहीं हैं, जो अनपढ़, मूर्ख है। दिनांक 7/8/2005 को अप्रार्थी सं0 2 अप्रार्थी सं0 2 को बहला फुसला कर, यह कह कर की बैंक लिमिट बनवानी है, इसलिए सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में फोटो खिंचवानी है अप्रार्थी सं0 1 ने धोखे से अंगूठे व मय अप्रार्थी को साथ मिला कर अप्रार्थीगण सं0 12, 13 को एक बेचनामा करवा लिया। प्रश्नगत भूमि 265 ख0 बीघा है। बेचनामा में केवल चक 3 RP ख0 नं0

P.T.O.

ख०नं० 157/375 (106) कि०नं० 1 से 9, 10, 11, 12 से 19, 20 21, 22, 24 कुल 5.694 हे० भूमि अभिलेख में दर्ज है तथा प्रति में अपना 1/5 हिस्सा दर्शाया गया है, जो वर्तमान में प्रार्थी के कब्जा काश्त में है। उक्त रकबा प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं० 14 के कब्जा काश्त में है। अप्रार्थीगण ने खरीददारों को आज तक कब्जा नहीं दिया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा इसलिये प्रार्थी 16.10 बीघा भूमि बाजार की कीमत वाला बेच दिया है। इसलिये प्रार्थी की भूमि बाजारों को बेच सकते हैं जिसका मुकदमा रा०अ० न्यायालय में चल रहा है। इसी भूमि का इकरारनामा कल्याननारायण पुत्र चन्द्र मोहन प्रजापत, चम्पालाल पुत्र सोहन लाल नाथद्वारा के साथ कर लिया, उक्त कोई चम्पालाल पुत्र सोहनलाल लेकिन उसने के साथ सौदा कर लिया है। रकबा बाहर के खरीददार, जिनको मैं नहीं जानता, के साथ सौदा कर लिया है। अप्रार्थी सं० 1 एक धोखा धड़ी करता रहता है। अगर न्यायालय द्वारा विक्रय स्थगन निरस्त किया जाता है, तो मन प्रार्थी को बहुत ही भारी नुकसान होगा, जिसकी भरपाई सम्भव नहीं है। (8) भूमि आधी जमीन बंटवारा हुआ है, आधी का नहीं हुआ है। जमीन कुछ नहरी कुछ बारानी कुछ ऊंची नीची है, इसलिये अच्छी भूमि व बुरी भूमि का बंटवारा का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाये, जिससे मन अप्रार्थी के साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो। अतः निवेदन प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के लायक वकील के बहस दिनांक को सुनी गई। अवलोकन किया प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र के संलग्न जमाबन्दी चक 9 RD. सं० 2063-66 खाता सं० 181/31 खाता धारक मोहम्मद वगैरह - कुल किला 24 कुल क्षेत्रफल 60.105 हे०, खाता सं० 118/131 - खाता धारक मोहम्मद वगैरह कुल किला 23 कुल क्षेत्रफल 5.694 हे० - की प्रमाणित प्रति लिपि की छाया प्रति, इकरारनामा पत्र दिनांक 30/12/2010 की छाया प्रति, विक्रय पत्र दिनांक 20/6/2008 की छाया प्रति, तथा Citation RRD 1990 419 का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्रों के आधार पर तथा प्रस्तुत जमाबन्दी चक 9 RP खाता सं० 181/31 व 181/131 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण के संयुक्त खाता में कुल 269=00 बीघा भूमि है। यह भूमि नहरी व बारानी तथा कम से वर्णित किया गया है कि प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 RTA में विवाद भाई हैं तथा मुताबिक जमाबन्दी [illegible] 55 बीघा बनता है, इसी भूमि पर काबिज होना बता रहे हैं। मुताबिक हक हिस्सा अनुसार चक 9 RP के ख०नं० 157/375 (106) के कि०नं० 1 से 23 [illegible] है। अप्रार्थी सं० 1 ने अप्रार्थी सं० 12 व 13 को खाता सं० 12 व 13 को खाता सं० 118/131 चक 9 RP की

Scanned by CamScanner

की भूमि जिसकी, जिसका इसे कोई अधिकार नहीं था। उपरोक्त की भूमि ... विवाद ... पश्चात अप्रार्थी को ... ... भूमि विक्रय करने की मिलता है। ... है ... अप्रार्थी-2 भूमि विक्रय करने की ... प्रार्थी को ... ... का ... प्रार्थी के पक्ष मे है।

चक 5 RP जमाबंदी सं० 2063 2066 खाता सं० 118/131 खाता खाप, मोहम्मद नसीम ... ... मोहम्मद पु० ... 1/5 हि० ... ... पि० ... 1/5 हि० ... 1/5 हि० ... ... 1/5 हि० मोहम्मद शरीफ, गुलाम शरीफ, पि० ... 1/5 हि० ... 1/5 हि० ... अब्दुल गनी पि० सुलेमान ... ... 1/5 हि० ... बानो शरीफ हमीद पि० नासर 1/5 हि० ... सुलेमान ... ... जी 55 का अंकित है। —

प्रार्थी शरीफ पुत्र नासर व अप्रार्थी सं० हमीद पुत्र नासर के ... ... नासर का हिस्सा भी, उनके हिस्सा 1/5 मे है।

इस प्रकार से चक 5 RP के दोनो खातो की कुल 2.65... बीघा भूमि कुल हिस्सा ... के ... है।

अप्रार्थी सं01 मोहम्मद शरीफ, गुलाम शरीफ, पि० ... का भी ... खाता मे 1/5 हिस्सा है। अप्रार्थी ... मोहम्मद शरीफ, द्वारा ... रजिस्टर्ड ... दिनांक, 20/6/2008 को चक 5 RP के खाता सं0 118/131 की कुल तादादी 5.634 है० ... भूमि ... के हिस्सा 1/5 मे के 1/2 हिस्सा, व अप्रार्थी सं0 2 गुलाम शरीफ की 1/5 हिस्सा मे के 1/2 हि० ... क्रमश: 0.560 है० व 0.190 है० कुल 0.759 है० ... भूमि ... श्रीमती ... शर्मा w/o श्री ... शर्मा जाति ब्राह्मण नि० ... व ... शर्मा w/o श्री अशोक शर्मा जाति ब्राह्मण नि० ... ... नगर जयपुर को ... ... । ... दिनांक 20/6/2008 का ... क्र० 535 दिनांक 6/1/09. ... ...

विधि अनुसार ... खाता का ... खाता मे ... ... का ... पर कब्जा माना जाता है। ... ... कोई भी ... ... भूमि का विक्रय ... नही कर सकता। ... प्रकरण मे अप्रार्थी सं0 1 के ... तथा अप्रार्थी सं0 2 के द्वारा ... दिनांक, 20/6/2008 के ... उनके हिस्सा की भूमि ... ... किया गया है, जो की विधि के ... ... के अनुसार उचित प्रतीत होता है।

प्रार्थी सं01 — शरीफ पु० नासर तथा अप्रार्थी सं0 14 हमीद ... की ... ... अंकित ... पत्र के ... सं0 5 मे ... मे चक 5 RP के ... नं0 157/375 (106) के ... नं0 1 से 23 पर ... ... अंकित किया है। प्रार्थी का ... ... नही ... तथा ... नं0 157/375 (106) पर ... ...,

P.T.O.

इस जमाबंदी को खारिजा तथा केवल जमाबंदियों को
irrelevant है, तथा malafide है। तथा केवल खाद्य कृषकों के विरु
राजस्व के अभिलेख को प्राथमिकता देना, तथा केवल ... विधि विरुद्ध है।
अधिकारों को स्वीकार नहीं करना, विधि विरुद्ध है। यदि किसी प्रकार का
दिनांक 20/6/2008 के समझौते के संदर्भ में यदि किसी प्रकार का relief प्रतिवादी
चाहता है, तो Civil Court में जाकर इसका अधिकार स्थापित करें। इसी प्रकार से,
प्राप्त करने का अधिकार स्थापित करें। इसी प्रकार दिनांक 30/12/2010 के संदर्भ में भी उपरोक्तानुसार, प्रत्यर्थी
पत्र दिनांक 30/12/2010 के संदर्भ में भी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।
सक्षम सिविल कोर्ट में कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।
अस्थाई निषेधाज्ञा के संदर्भ में 3 ingredients आवश्यक है
prima facie case. balance of convenience तथा irreparable loss। प्रार्थी के पक्ष में तीनों ingredients सिद्ध करने में
प्रार्थी के पक्ष में तीनों ingredients सिद्ध करने में
लागत वकील अपीलार्थी सिद्ध नहीं कर पाए हैं। जबकि लागत वकील
अपीलार्थी सं0 1 यह सिद्ध करने में सफल रहे हैं कि prima facie
case उनका है - अपीलार्थी सं0 1 recorded co-tenant है, तथा
balance of convenience भी उनके पक्ष में है।
इसी कारण से balance of convenience भी उनके पक्ष में है।
विधि के प्रावधान के अनुसार सहकृषक होने के कारण, तथा खातेदार
कृषक होने के कारण transferable rights प्राप्त हैं। ऐसी
स्थिति में यदि अपीलार्थी सं0 1 को Raj. Tenancy Act, 1955 के प्रावधानों
के विरुद्ध, उसको उसके हिस्से की भूमि, जिसका विभाजन किया जाना
वर्जित नहीं है, के बेचान किए जाने से बाधित या प्रतिबंधित नहीं
किया जा सकता। अतः अपीलार्थी सं0 1 के प्रार्थना पत्र दिनांक 3/1/11
में अंकित तथ्यों तथा प्रस्तुत दृष्टांत 1990 RRD 419 को
स्वीकार कर, प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, तथा विधि के प्रावधानों
के अनुसार - अपीलार्थी शरीफ पुत्र नासर जाति मुसलमान निवासी लाडनूं(?)
के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA को तुरंत प्रभाव से
अस्वीकार किया जाता है। दिनांक 3/5/9 को जारी की गई अस्थाई
निषेधाज्ञा को भी तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाता है। निर्णय के
फलस्वरूप अपीलार्थी मोहम्मद शरीफ पुत्र ईद0 जाति मुसलमान
निवासी लाडनूं(?), चक 5 RP में स्थित उसके हक व हिस्से की
भूमि का रहन, बय व मुंतकिल करने के लिए स्वतंत्र है। अपीलार्थी
मोहम्मद शरीफ को पाबंद किया जाता है कि रहन, बय व मुंतकिल
विधि विरुद्ध किसी से नहीं किया जावे।

निर्णय आज खुली अदालत में दिनांक 10/6/11 को सुनाया गया।
पत्रावली का प्रमाण नम्बर से दर्ज किया जाकर बाद पत्रावली के
साथ संलग्न किया जावे, बाद तामील तकमील।

10/6/11

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
[illegible]

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.12.26 14:27:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: